राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:–35/2017
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. पारूल पुत्री प्रहलादराय जाति जाट निवासी सालीवाला हाल आबाद सहारणी तहसील टिब्बी।

–प्रार्थी

बनाम

1. अनूपसिंह पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी।

–अप्रार्थी

उपस्थित:– 1. श्री अब्दुल सत्तार जोईया अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रूपराम कासनियां अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:–8.6.2018

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया गया कि प्रार्थीया के नाम से चक नं. 9 सीडीआर के प.नं. 234/245 मु.नं. 15 कि.नं. 23,प.नं. 234/246 मु.नं. 21 कि.नं. 9,11,12,13,14,20 कुल 1.771 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने–जाने के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी को स्वयं काश्त नहीं कर सकती,प्रार्थीया को अपनी आराजी में काश्त करने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीया की आराजी से उतर की ओर पत्थर लाईन नं. 246 पर पूर्व से पश्चिम मन्जूर शुदा व चालू रास्ता है जिसके जरिये आवागमन कर प्रार्थीया अप्रार्थी अनूपसिंह की आराजी प.नं. 234/246 मु.नं. 21 कि.नं. 4 व 8 के पूर्वी हिस्सा की ओर से अपनी आराजी में आवागमन कर रही है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है इसलिए प्रार्थीया चक नं. 9 सीडीआर के प.नं.234/246 मु.नं. 21 कि.नं. 4 व 8 के पूर्वी हिस्सा की ओर से उतर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता मन्जूर करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है ताकि आने वाले वक्त में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अप्रार्थी अनूपसिंह की जमाबन्दी भी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनूपसिंह ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत नाईवाला में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित किया कि उसके नाम की भूमि चक नं. 9 सीडीआर के प.नं. 234/246 मु.नं. 21 कि.नं. 4 व 7 के पूर्वी हिस्सा की ओर उत्तर से दक्षिण एक–एक गट्ठा यानि सवा आठ फूट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता का अंकन किया जाता है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है वह राजीनामा से सहमत है। राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में तहसीलदार टिब्बी को पत्रांक 4008 दिनांक 5.12.2017 से जारी कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार से रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/रीडर/1732 दिनांक 24.7.2017 से भिजवाई है जिसके अनुसार अप्रार्थी के नाम से चक नं. 9 सीडीआर के प.नं. 234/246 मु.नं. 21 कि.नं.3/.164,4/.164,7–8/0.506 रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त रकबा के कि.नं. 4 व 7 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में से 0.013 है. रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है,रास्ता

Scanned by CamScanner

मौके पर चालू है,रकबा पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं है,नजरी नक्शा संलग्न कर भिजवाया है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया,मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है,रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। मुताबिक रिपोर्ट मौके पर रास्ता चल रहा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि** प्रार्थीया के नाम से चक नं. 9 सीडीआर के प.नं. 234/245 मु.नं. 15 कि.नं. 23,प.नं. 234/246 मु.नं. 21 कि.नं. 9,11,12,13,14,20 कुल 1.771 है.,**में जाने हेतु रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए** है। अतः न्यायहित में राजीनामा के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए अप्रार्थी के नाम से चक नं. 9 सीडीआर के प.नं. 234/246 मु.नं. 21 के कि.नं. 4 व 7 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में से 0.013 है.रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्तानुसार स्वीकृत रास्ता के रकबा का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 8.6.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान ग्राम पंचायत नाईवाला में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

Scanned by CamScanner